न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./02/2024/बाड़मेर

अपीलांट बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. इन्द्रसिंह पुत्र हुकमसिंह 2. चक्रवतीसिंह पुत्र सुमेरसिंह 3. चन्द्र कंवर पत्नी स्व. पुरखसिंह 4. जालमसिंह पुत्र हुकमसिंह 5. तुलछसिंह पुत्र पुरखसिंह फौत के कायम मुकामः– 5/1श्रीमती प्रियका कंवर पत्नी तुलछसिंह 6. नरपतसिंह पुत्र पुरखसिंह 7. पदमसिंह पुत्र हेमसिंह 8. पूनमसिंह पुत्र पुरखसिंह 9. पवन कंवर पुत्र स्व. सुमेरसिंह 10. मनोहरसिंह पुत्र पदमसिंह 11. राजूसिंह पुत्र पुरखसिंह जातियान राजपूत निवासीयान चोक तहसील पोकरण जिला जैसलमेर	1. अर्जनसिंह पुत्र मेघसिंह 2. प्रेमसिंह पुत्र मेघसिंह 3. श्रीमती पदमकंवर पत्नी मेघसिंह 4. गोमसिंह पुत्र समर्थसिंह 5. भागू कंवर पुत्री मेगसिंह 6. रूखमणी कंवर पुत्री मेगसिंह 7. हरीसिंह पुत्र मेघसिंह 8. भेरूसिंह पुत्र हमीरसिंह 9. कूम्पसिंह पुत्र भंवरसिंह 10. कुशलसिंह पुत्र आम्बसिंह 11. गायड़सिंह पुत्र आम्बसिंह 12. श्रीमती खमा कंवर पत्नी स्वग्रीय आम्बसिंह 13. गुलाबसिंह पुत्र उतमसिंह 14. गोविन्दसिंह पुत्र भंवरसिंह 15. जेठी कंवर पुत्री भंवरसिंह 16. दुर्गा कंवर पुत्री भंवरसिंह 17. श्रीमती प्रेमकंवर पुत्र भंवरसिंह 18. पहाड़सिंह पुत्र आम्बसिंह 19. शेतानसिंह पुत्र आम्बसिंह 20. विजयसिंह पुत्र आम्बसिंह 21. सुवाकंवर पत्नी केशरसिंह जातियान राजपूत निवासीयान चोक तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 22. श्रीमान तहसीलदार पोकरण उत्तरदातागण/विप्रार्थीगण 1. सुर्यवर्धनसिंह पुत्र सुमेरसिंह 2. तनेरावसिंह पुत्र भंवरसिंह 3. देवीसिंह पुत्र भंवरसिंह 4. श्यामसिंह पुत्र भंवरसिंह 5. हिम्मतसिंह पुत्र भंवरसिंह 6. चमनपालसिंह पुत्र सुमेरसिंह जातियान राजपूत निवासीयान चोक तहसील पोकरण जिला जैसलमेर

अपोल अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, पोकरण द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 02/2024 बउनवान अर्जुनसिंह वगैरह बनाम इन्द्रसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के विरूद्व पेश हुई ।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपस्थित

1. वकील श्री हाकमसिंह भाटी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कैलाशकुमार परिहार उतरदाता की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—19.06.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता संख्या 01 से 21 ने अधीनस्थ अदालत में एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थना—पत्र के साथ नजरी नक्शा अनुसार उत्तरदातागण संख्या 01 से 21 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 162, 158, 159, 160, 161 की भूमि आई हुई है और इस भूमि में उत्तरदातागण संख्या 01 से 21 आबाद होकर ठावो का विवरण देते हुए खसरा संख्या 118, 141, 142, 143 व 157 में पेश नजरी नक्शा अनुसार कदीम से आमजन हेतु रास्ता कई वर्षों से चालु था और वर्तमान समय में रास्ता सुचारू रूप से चालु तथा नियमित आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत आवेदन में बाद सुनवाई दिनांक 25.06.2024 को निर्णय पारित कर दिया। उक्त निर्णय अनुसार 15 फीट का अपीलांटस के खेत में से नजरी नक्शा को छोड़ कर अलग जगह रास्ता स्वीकृत कर दिया तथा अपीलांटस को रास्ता की भूमि के बदले भूमि उत्तरदातागण/प्रार्थीगण से दिलाने का निर्णय पारित कर दिया। तत्पश्चात वकील उत्तरदातागण/प्रार्थीगण के प्रार्थना—पत्र धारा 114 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना—पत्र से पूर्व निर्णय दिनांक 25.06.2024 को बदल कर रास्ता की चौड़ाई 15 फीट की जगह 25 फीट कर दी और भूमि के बदले भूमि का निर्णय बदल कर डी.

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

एल.सी. दर के दुगने पैसे देने का आदेश दिनांक 23.07.2024 को बिना अपीलांटगण को सुने पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश से प्रस्तावित रास्ते की उत्तरदराता को कोई अत्यांतिक आवश्यकता नहीं थी केवल मात्र अपनी जोत के सुविधाजनक उपभोग एवं उपयोग के लिए रास्ते का आवेदन किया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–RRT 2019(2) Page 1210

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेंटस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई सुगम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलाधीन आदेश से मूल आदेश को रिव्यू करने की मूल वजह यह है कि प्रकरण में खातेदारी अधिक होने की वजह से जमीन के बदले जमीन देना Complicated issue होने से आदेश को संशोधित किया गया है। रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है लेकिन अपीलांट को सुनवाई का मौका दिया जाना लाजमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिव्यू आवेदन

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

एकतरफा स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं किया गया। रिव्यू आवेदन में रास्ते की चौड़ाई भी 15 फीट के स्थान पर 25 फीट कर दिया गया जो विधि सम्मत नहीं है। मूल आदेश दिनांक 25.06.2024 को एकतरफा संशोधन करते हुए प्रतिकर भूमि के बदले भूमि नहीं देकर डी.एल.सी. की दुगनी राशि देने के एकतरफा आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की आपत्ति होने के बावजूद भी विचार नहीं किया गया। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पोकरण द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 02/2024 बउनवान अर्जुनसिंह वगैरह बनाम इन्द्रसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में गुणावगुण पर आदेश पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.07.2025 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण को अधिकतम दो माह में निस्तारण करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

19/6/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 19.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/6/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर